

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-ri@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्रएवंसहा./आंधी-तूफान/2023-24/स्वीकृति/2023/1399-1404

दिनांक: 9/02/2024

-: प्रशासनिक स्वीकृति :-

तहसील कार्यालय धरियावद के तहसील क्षेत्र में अतिवृष्टि से नदी में बाढ़ से कच्चा मकान पूर्ण क्षति होने पर पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंसा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार धरियावद की अनुशंसा के आधार पर एवं राज्य आपदा मोचन कोष और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के वर्ष 2022-23 से 2025-26 के नवीन संशोधित मानदण्डों के बिन्दु संख्या व (10)(ख)-2 में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर अतिवृष्टि से नदी में बाढ़ से कच्चा मकान पूर्ण क्षति होने से क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	पता	क्षति का विवरण	स्वीकृत राशि
1	श्री पिरीया पिता जानिया जोगी	ग्राम गुड़ा प.म. अणत	दिनांक 16.09.2023 को अतिवृष्टि/बाढ़ से कच्चा मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त	72000/-रु.
कुल योग				72000/-रु.

(अक्षरे बहत्तर हजार रुपये मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा :
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़/चक्रावात, 113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण हेतु सहायता (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनः निर्माण के लिए सहायता, 02- पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।

(डॉ. अजलि राजोरिया)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़

दिनांक: 9/02/2024

क्रमांक:-आ.प्रएवंसहा./आंधी-तूफान/2023-24/स्वीकृति/2023/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी धरियावद।
- तहसीलदार, धरियावद।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़